न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 127 / 2021

उनवान

प्रेम देवी पत्नी मांगीलाल जाति भांबी निवासी ग्राम चैनपुरा, नसीराबाद
-- वादीगण :– जरिये अधिवक्ता श्री रमेश रावत

बनाम

1. सोहनी पत्नी पांचू भांबी,
2. कालू,
3. बलवीर,
4. भाणु पि. पांचू भांबी नि0 चैनुपरा नसीराबाद,
5. गोपी दत्तक पुत्र बरदा जाति भांबी नि0 चैनुपरा हाल नि0 राजकीय सीनीयर सैकेण्डरी स्कूल के पीछे, गणेशगंज कोटा की तलाई, अजमेर रोड, सरवाड,
6. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

--प्रतिवादीगण :–1 से 5 अनुपस्थित
6 जरिये तहसीलदार नसीराबाद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 रा0 का0 अधि0 1955 व धारा 131 भू राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :– दिनांक :– 19.6.24

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम चैनपुरा के चौसाला खसरा नम्बर 2768 रकबा 31–5–04 में से 1–4–10 दिनांक 20.11.75 को वादी के पति मांगीलाल पुत्र किशना भांबी को आवंटित हुआ था। तथा प्रतिवादीगण के पूर्वज पन्ना पुत्र धन्ना जाति भंबी को चौसाला खसरा नम्बर 2768 में से 1–10–0 भूमि का आवंटन किया गया। उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण की जाति त्रुटिवश माली अंकित कर दी है। चौसाला जमाबंदी के आधार पर हुये उक्त आवंटन में उक्त समय अलग–अलग तरमीम नही की गयी। तथा वंकिग जमाबंदी में खसरा नम्बर 3077/1 वादी व 3077/2 प्रतिवादी के पूर्वज के नाम पर करने के बावजूद राजस्व मानचित्र में 3077/1 व 3077/2 का अंकन नही किया गया। हाल राजस्व अभिलेख में वादी को खसरा नम्बर 1837 व 1838 का खातेदार दर्ज किया गया है। जबकि उक्त आराजी पर वादी का कब्जा कभी भी नही रहा है। खसरा नम्बर 1837 में आवंटन दिनांक ये बडी–बडी खाने व 1838 में प्रतिवादीगण का मकान व वाडा मौजूद है। वर्तमान राजस्व मानचित्र में मौके अनुसार तरमीम नही कर गलत तरमीम कर दी गयी है। वादी का भौतिक कब्जा हाल खसरा नम्बर 1834 रकबा 0.04 व 1827 मिन रकबा 0.16 पर है। अतः आराजी मुतनाजा के राजस्व मानचित्र में तरमीम के आदेश पारित कर वादी की आवंटत भूमि खसरा नम्बर 1837 व 1838 के स्थान पर खसरा नम्बर 1834 व 1827 में तरमीम कर खातेदारी उद्घोषणा की

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से पूर्व में अधिवक्ता उपस्थित हुये व प्रकरण विचारण के दौरान

--2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

अनुपस्थित होने के कारण विधिवत रूप से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। राज0 पैरोकार ने जाहिर किया कि वादी अपना वाद स्वयं सिद्व करे।

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख व साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैराकार की बहस पर मनन किया गया। वाद के नाम हाल खसरा नम्बर 1837/0.17 व 1838/0.03 खातेदारी दर्ज है। उक्त आराजी के वंर्किग खसरा नम्बर 3077/1 रकबा 1-4-10 वादी के पति के नाम खातेदारी दर्ज था। तथा वंर्किग खसरा नम्बर 3077/2 रकबा 1-13-10 पन्ना पुत्र धन्ना के नाम खातेदारी दर्ज है। चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2023-26 में चौसाला खसरा नम्बर 2768 मिन रकबा 1-4-10 वादी के पति के नाम आवंटन का नोट अंकित है। वादी का मुख्य कथन है कि आवंटित भूमि की हाल राजस्व मानचित्र में तरमीम मौके से भिन्न स्थान पर कर दी गयी है। किन्तु उनके द्वारा भूमि के आवंटन से सबंधित दस्तावेज पेश नही किये हैं। वादी के पति को किस तरफ की भूमि का आवंटन हुआ था यह वादी ने स्पष्ट नही किया हैं आवंटन के समय अथवा नामान्तकरण के समय नजरी नक्शें में वादी के पति को आवंटित भूमि का नजरी नक्शा वादी द्वारा पेश नही किया है। वादी मात्र मौखिक कथनों के आधार पर राजस्व मनचित्र में दुरूस्ती चाहता है। जबकि वादी को अपने कथनों को सिद्व कने हेतु अभिलेखिय साक्ष्य पेश करने चाहिये थे। आवंटन से सबंधित दस्तावेज पेश नही करने के कारण राजस्व मानचित्र को त्रुटिपूर्ण नही कहा जा सकता है।

उक्तानुसार ग्राम चैनपुरा के हाल खसरा नम्बर 1837 रकबा 0.17 व 1838 रकबा 0.03 की आराजी पर वादी का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

डिक्री व मुकदमे इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

प्रेम देवी बनाम सोहनी

दावा बाबत :–88, 188 राज. का. अधि0 1955, 131 भू रा0 अधि0 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर –127 / 2021
पेश करने की दिनांक –01.10.21

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक रमेश रावत मुद्दई अभिभाषक राज0 पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम चैनपुरा के हाल खसरा नम्बर 1837 रकबा 0.17 व 1838 रकबा 0.03 की आराजी पर वादी का वाद **"खारिज"** किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक–––––––– को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज 19 दिनांक माह 6 सन् 2024 को जारी की गयी।

मुद्दई		मुदायला	
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	/	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	/
मिजान		मिजान	

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद